न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35 / 2025

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट–
1. तगाराम पुत्र चुतराराम 2. पांचीदेवी पत्नी चुतराराम 3. नैनु देवी पत्नि सुरता 4. छगन पुत्र सुरता 5. डालु पुत्र सुरता जाति जाट निवासी आदर्श चुली तहसील जिला बाड़मेर		1. नवलाराम पुत्र पेलादराम 2. गंगाराम पुत्र पुनमाराम 3. गिरधारी पुत्र पुनमाराम 4. गोरधनराम पुत्र पुनमाराम 5. नुर मोहम्मद पुत्र अब्दुल जाति मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला बाड़मेर 6. उपतहसीलदार विशाला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 163 दिनांक 19.06.2025 जो उपतहसीलदार विशाला द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री गणपत गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री शैतानसिंह राठोड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1से5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 20.01.2026

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उपतहसीलदार विशाला द्वारा ग्राम आदर्श चुली के खसरा नंबर 114 ,170 / 115, 172 / 115 क्रमशः रकबा 0–0567, 8–1099, 5–3014 हैक्टेयर भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 19.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम आदर्श चुली के खसरा नंबर 114 ,170 / 115, 172 / 115 क्रमशः रकबा 0–0567, 8–1099, 5–3014 हैक्टेयर भूमि के खातेदारा[illegible] जाट, गंगाराम गिरधारीराम गोरधनराम पि. पूनमा जाति जाट, त[illegible] चुतराराम पांचीदेवी पत्नि चुतराराम, नेनुदेवी पत्नि [illegible] छगनाराम पि. सुरताराम संरक्षक की कुदरती वली [illegible] जाट सा.देह खातेदार [illegible] दिनांक 19.06.2025 को उपतहसीलदार विशाला के [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत [illegible] उक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी चूली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ उपतहसीलदार विशाला द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2025 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 1 व 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम आदर्श चुली के खसरा नंबर 114 ,170/115, 172/115 क्रमशः रकबा 0–0567, 8–1099, 5–3014 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें अपीलांट्स का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, उतरदाता संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं उतरदाता संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा था। जिसमें अपीलांट्स एंव उतरदाता संख्या 1 से 3 अपने अपने कब्जे काश्त अनुसार बाहामी तौर पर किये गये बंटवाडा के आधार पर काबिज है और काश्त करते आ रहे है। जिस बाहमी बंटवाडे के अनुसार ही पक्षकारान की अलग अलग रहवासी ढाणीयां, चारबाडे इत्यादि बने हुए थे तथा उतरदाता संख्या 2 से 3 को अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु रकम की आवश्यकता होने से उन्होने अपने हिस्से में से 1 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 5 को बेचान की थी। उतरदाता संख्या 1 ने अपीलांट्स व अन्य समस्त खातेदार के मध्य कब्जानुसार हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी का रेकर्डेड विभाजन का प्रस्ताव दिया जिस पर अपीलांट्स ने अपनी सहमति देते हुए अपने कब्जे एवं काश्त के अनुसार विभाजन के लिए कागजात तैयार कराने हेतु उतरदाता संख्या 01 को अधिकृत किया गया। उतरदाता संख्या 01 ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन हेतु आवश्यक कागजात तैयार किये तथा हस्ताक्षर हेतु अपीलांट्स के समक्ष पेश किये। तब अपीलांट्स ने अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाने से पहले प्रकट किया कि पहले भूमि की पैमाईश कर मौके पर चिन्हित की जाये ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाये परन्तु उस समय बताया गया कि मौके की पैमाईश निरीक्षक भू अभिलेख की उपस्थिति मे कर नक्शे में चिन्हित किया जावेगा अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तो विभाजन हेतु आवेदन तैयार किया जाना है। इस पर सभी खातेदारों ने पटवारी द्वारा बताये स्थानों पर कागजात पर हस्ताक्षर निशान अंगूष्ठ कर कागजात उतरदाता संख्या 1 से 4 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु उतरदाता संख्या 6 को सौप दिये, जिस पर उतरदाता संख्या 6 उपतहसीलदार विशाला द्वारा उक्त विभाजन आदेश स्वीकृत कर दिया। पक्षकारान जो पूर्व में बाहमी बंटवाडे के अनुसार काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन उतरदाता संख्या 01 ने उक्त अपीलाधीन आदेश में पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के विपरीत जाकर अधिकतम रोड़ वाली भूमि जमीन अपने हिस्से में दर्शा दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं तथा राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट्स को मुख्य मार्ग की कम भूमि दी गई जो गलत है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम आदर्श चुली के खसरा नंबर 114 ,170/115, 172/115 क्रमशः रकबा 0–0567, 8–1099, 5–3014 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान नवला पुत्र पेलाद जाति जाट, गंगाराम गिरधारीराम गोरधनराम पि. पूनमा जाति जाट, तगाराम पुत्र चुतराराम पांचीदेवी पत्नि चुतराराम, नेनुदेवी पत्नि सुरताराम नाबालिक डालुराम छगनाराम पि. सुरताराम संरक्षक की कुदरती वली माता नेनुदेवी जाति जाट सा.देह खातेदार ने दिनांक 19.06.2025 को उपतहसीलदार विशाला के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी चूली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ उपतहसीलदार विशाला द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2025 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। जिस पर उपतहसीलदार विशाला द्वारा पक्षकारो के सहमति के आधार पर विभाजन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की [illegible] एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पो[illegible] 1 व 5 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का [illegible]लोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम आदर्श चुली के खसरा नंबर 114 ,170/115, 172/115

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्रमशः रकबा 0–0567, 8–1099, 5–3014 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान नवला पुत्र पेलाद जाति जाट, गंगाराम गिरधारीराम गोरधनराम पि. पूनमा जाति जाट, तगाराम पुत्र चुतराराम पांचीदेवी पत्नि चुतराराम, नेनुदेवी पत्नि सुरताराम नाबालिक डालुराम छगनाराम पि. सुरताराम संरक्षक की कुदरती वली माता नेनुदेवी जाति जाट सा.देह खातेदार ने दिनांक 19.06.2025 को उपतहसीलदार विशाला के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी चूली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ उपतहसीलदार विशाला द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2025 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत की गई है।

7. अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि उतरदाता संख्या 01 के हिस्से मे खसरा नंबर 273 / 115 व 170 / 115 के मध्य चल रहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 68 खसरा नंबर 272 / 115 से लगती कीमती भूमि उतरदाता संख्या 01 ने अपने नाम से करवा दी। अर्थात खसरा नंबर 170 / 115 की नेशनल हाईवे से लगती सम्पूर्ण भूमि उतरदाता संख्या 01 ने अपने नाम से करवा दी। पक्षकारान जो पूर्व में बाहमी बंटवाडे के अनुसार काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन उतरदाता संख्या 01 ने उक्त अपीलाधीन आदेश में पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के विपरीत जाकर अधिकतम रोड़ वाली भूमि जमीन अपने हिस्से में दर्शा दी गई। उक्त आदेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमावे। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उपरोक्त कृषि जोत के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ उपतहसीलदार विशाला द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2025 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ है। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा इन जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उल्लेखित कारण संतोषप्रद नही होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में उक्त अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested